	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, शुक्रवार, शाके 1944-अप्रेल 29, 2022 *Vaisakha 09, Friday , Saka 1944- April 29, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, अप्रेल 27, 2022

एस.ओ.13 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(7)वित्त/कर/2021-55 दिनांक 30.09.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[**सं.एफ.2(7)वित्त/कर/2021-55**]

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि किसी व्यक्ति, जो राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति एवं आबंटन) नियम, 2012 के नियम 11 के उप-नियम (3) या नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी से पट्टा विलेख प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त करने के अपने अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन या अंतरण करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित समनुदेशन विलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र.सं.	लिखत का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	यदि ऐसा विलेख राजस्थान टाउनशिप	प्रत्येक ऐसे विलेख पर पांच सौ रूपये

	पालिसी, 2010 के अधीन आने वाली परियोजना के संबंध में किसी व्यक्ति या विकासकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाता है	
2.	किसी अन्य मामले में	पट्टा विलेख, जिसके संबंध में समनुदेशन विलेख निष्पादित किया गया है, पर नगरीय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उदगृहीत की जाने वाली रकम का दो प्रतिशत।

यह अधिसूचना 02.10.2021 से प्रभावी होगी।

[**सं.प.2(7)वित्त/कर/2021-55**]
राज्यपाल के आदेश से,
जसवंत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव''।

Government Central Press, Jaipur.